



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

आयोग भवन, हरिद्वार-249404

संख्या : 235 / 70 / 01 / डी0आर0(मा0शि0) / सेवा-1 / 2019-20

दिनांक : 27 मई, 2022

विज्ञप्ति

(उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग-समूह 'ग') सेवा (सामान्य एवं महिला शाखा) परीक्षा-2020 के सापेक्ष अनर्ह घोषित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन निस्तारण की सूचना)

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि 'उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग-समूह 'ग') सेवा (सामान्य एवं महिला शाखा) परीक्षा-2020' हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या : A-1/S-1/2020 दिनांक 09.10.2020 के सापेक्ष मुख्य परीक्षा के पश्चात अभिलेख सत्यापन सूची में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन एवं सन्निरीक्षा का कार्य आयोग स्थित परीक्षा भवन में दिनांक 07 मार्च, 2022 से 28 मार्च, 2022 तक विभिन्न तिथियों में सम्पन्न किया गया।

अभिलेख सत्यापन एवं सन्निरीक्षा के पश्चात विज्ञप्ति संख्या : 224 / 70 / 01 / डी0आर0(मा0शि0) / सेवा-1 / 2019-20 दिनांक 10 मई, 2022 द्वारा कतिपय अभ्यर्थियों को प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह घोषित करते हुए अनर्ह घोषित अभ्यर्थियों से दिनांक 17 मई, 2022 तक ई-मेल अथवा अन्य किसी माध्यम से अनर्हता के सापेक्ष प्रत्यावेदन एवं अपने दावे के सापेक्ष पुष्ट अभिलेख/प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु सूचित किया गया था। अनर्ह घोषित अभ्यर्थियों में से उक्त निर्धारित अंतिम तिथि तक अनर्हता के सापेक्ष प्रत्यावेदन/अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रेषित करने वाले अभ्यर्थियों में से निम्नलिखित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदनों को मा0 आयोग द्वारा निस्तारित करते हुए अनर्ह किये जाने संबंधी पूर्ववर्ती निर्णय को यथावत रखा गया है, जिसका विवरण निम्नवत है -

क्र. सं.	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	विषय / शाखा	निर्णय
1	819628	NARENDRA LAL	हिन्दी / सामान्य शाखा	अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक अनर्हता के सापेक्ष अभिलेख/प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने के दृष्टिगत अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किये जाने संबंधी मा0 आयोग के पूर्ववर्ती निर्णय को यथावत रखा गया है।
2	819746	DAMAYANTI	हिन्दी / सामान्य शाखा	अभ्यर्थी द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र में दावित दिव्यांगता की उपश्रेणी MD के सापेक्ष प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने के दृष्टिगत अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किये जाने संबंधी मा0 आयोग के पूर्ववर्ती निर्णय को यथावत रखा गया है।
3	840306	MEENA RANI TIWARI	हिन्दी / सामान्य शाखा	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावित दिव्यांगता की उपश्रेणी के सापेक्ष सम्यक् प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराने तथा अभ्यर्थी की दिव्यांगता उपश्रेणी (BA & BL) चिन्हांकित उपश्रेणियों में से किसी भी उपश्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित नहीं होने के दृष्टिगत अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किये जाने संबंधी मा0 आयोग

				के पूर्ववर्ती निर्णय को यथावत रखा गया है।
4	821004	TEJAL KUMARI	अंग्रेजी / सामान्य शाखा	अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत नवीन दिव्यांगता प्रमाण पत्र में उल्लिखित दिव्यांगता की उपश्रेणी प्रश्नगत पद हेतु चिन्हांकित नहीं होने के दृष्टिगत अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किये जाने संबंधी मा0 आयोग के पूर्ववर्ती निर्णय को यथावत रखा गया है।
5	843173	MUNENDRA SINGH	अंग्रेजी / सामान्य शाखा	अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक अनर्हता के सापेक्ष अभिलेख/प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने के दृष्टिगत अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किये जाने संबंधी मा0 आयोग के पूर्ववर्ती निर्णय को यथावत रखा गया है।
6	812211	KIRAN BISHT	नागरिक शास्त्र / सामान्य शाखा	दिव्यांगता की उपश्रेणी BL प्रश्नगत पद हेतु चिन्हांकित नहीं होने के दृष्टिगत अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किये जाने संबंधी मा0 आयोग के पूर्ववर्ती निर्णय को यथावत रखा गया है।
7	827624	SANJAY KUMAR	नागरिक शास्त्र / सामान्य शाखा	दिव्यांगता की उपश्रेणी BL प्रश्नगत पद हेतु चिन्हांकित नहीं होने के दृष्टिगत अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किये जाने संबंधी मा0 आयोग के पूर्ववर्ती निर्णय को यथावत रखा गया है।
8	809684	VARTIKA GUPTA	अर्थशास्त्र / सामान्य शाखा	दिव्यांगता की उपश्रेणी (Both Hand and One Leg) प्रश्नगत पद हेतु चिन्हांकित नहीं होने के दृष्टिगत अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किये जाने संबंधी मा0 आयोग के पूर्ववर्ती निर्णय को यथावत रखा गया है।
9	823909	KM BABITA	अर्थशास्त्र / सामान्य शाखा	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावित दिव्यांगता की उपश्रेणी MD के सापेक्ष प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने के दृष्टिगत अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किये जाने संबंधी मा0 आयोग के पूर्ववर्ती निर्णय को यथावत रखा गया है।
10	829706	RASHMI BISHT	कृषि / सामान्य शाखा	अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन की शर्तानुसार B.Ed उपाधि धारित न करते हुए BACHELOR OF EDUCATION-SPECIAL EDUCATION (LEARNING DISABILITY) धारित करने के कारण अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किये जाने संबंधी मा0 आयोग के पूर्ववर्ती निर्णय को यथावत रखा गया है।
11	849131	KIRAN SATI	रसायन शास्त्र / सामान्य शाखा	अभ्यर्थी की परास्नातक उपाधि एवं अंतिम वर्ष की अंकतालिका में Chemistry Materials का उल्लेख होने तथा प्रश्नगत पद की संगत सेवा नियमावली एवं विज्ञापन के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा वांछित शैक्षिक अर्हता धारित न करने के कारण अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किये जाने संबंधी मा0 आयोग के पूर्ववर्ती निर्णय को यथावत रखा गया है।

Sd/-

(कर्मन्ध्र सिंह)

सचिव।